अनवान दुल्ला खां बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 208/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 208/2022

दुल्ला खां वल्द जुगराज खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 4, गणेशगढ तहसील व जिला श्री गंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री मोहन लाल माहर – – वादी
2. पैरोकार राज – – प्रतिवादी

दिनांक :–20.06.2024

– :: निर्णय ::–

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए, 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 28 एल एन पी द्वितीय के खाता स० 40/34 के मुरबा न0 7 के किला न० 11/2 ता 20/1 तक कुल 1.533 है0 कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे खातेदारी है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 सलंग्न वाद पत्र है। जिसे आगे प्रश्नगत कृषि भूमि उल्लेखित किया जावेगा। प्रश्नगत कृषि भूमि 28 एल एन पी द्वितीय की 1.533 है0 वादी का कब्जा काश्त में लगातार शान्तिपूर्वक चली आ रही है। वादी द्वारा ही राज्य सरकार को माली रकम की राशि का भुगतान दुल्ला खां के नाम से किया जा रहा है। इसी प्रकार वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि की भूमि होने के कारण सिंचाई सुविधा दुल्ला खां वादी के नाम से प्राप्त हो रही है। जिसके आबियाना के राशि का भुगतान का भुगतान भी वादी नियमित रूप से कर रहा है। वादी दुल्ला खां का वास्तविक नाम भी दुल्ला खां ही है। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत गणेशगढ के प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड स० 4747323429, भामाशाह कार्ड VPSNZPA, आयकर विभाग का कार्ड संख्या BOMPD2926M, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की चालु खाता की पासबुक शाखा डूंगरसिंहपुरा, परिवार राशन कार्ड स० 006463500578 इत्यादि मे वादी का नाम दुल्ला खां ही अंकित है । चूंकि वादी का नाम वास्तविक रूप से दुल्ला खां ही है । इसलिए वादी राजस्व अभिलेख मे अंकित मक्खन वल्द जुगराज खां को संशोधित करवाकर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है । वादी ने [illegible] को दिनांक 08.12.2022 को कहा तो वे कतई इन्कार हो गये और कहा कि सक्षम न्यायालय [illegible] लेकर आवे तब संशोधन किया जावेगा। यही वाद कारण है [illegible] सादर डिग्री फरमाया जावे–

क. कि राजस्व अभिलेख वाके चक 28 [illegible] द्वितीय के खाता संख्या 40/34 के मुरबा न0 7 के किला न० 11/[illegible] 20/1 की कुल 1.533 है0 कृषि भूमि में दर्ज मक्खन वल्द जुगराज खां जाति छिम्पा मुसलमान में संशोधिक किया जाकर दुल्ला खां वल्द जुगराज खां जाति छिम्पा मुसलमान की घोषणा कर संशोधित किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ख. अन्य कोई अनुतोष जो कानूनन वाजिब हो ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार चक 28 एलएनपी द्वितीय के खाता सं. 40 मु.न. 7 कि.न.11/2 ता 20/1 तक कुल रकबा 1.533 है. भूमि मक्खन पुत्र जुगराज जाति छींपा मुसलमान सा. गणेशगढ़ के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पडौसी खातेदारों से पूछताछ करने पर उक्त रकबा में वादी दुल्ला खां पुत्र जगराज खां द्वारा काफी वर्षो से कब्जा होकर काश्त करता आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं बैंक पास की प्रतिलिपियो में वादी का नाम दुल्ला खां पुत्र जगराज खां अंकित है। उक्त रकबा में पानी की बाराबन्दी पर्ची में वादी का नाम मखणसिंह पुत्र जुगराज अंकित है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 28 एलएनपी सेकेण्ड, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि.क्षे. गणेशगढ़, खाता संख्या 40/34 एवम् ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फोटो युक्त) में मक्खन पुत्र जुगराज व दुल्ला खां पुत्र जगराज खां एक ही व्यक्ति होने की तस्दीक की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड स० 4747323429, भामाशाह कार्ड VPSNZPA, आयकर विभाग कार्ड संख्या BOMPD2926M, स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की चालु खाता की पासबुक शाखा डूंगरसिंहपुरा, परिवार राशन कार्ड स० 006463500578 इत्यादि मे वादी का नाम दुल्ला खां अंकित है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 28 एलएनपी सेकेण्ड, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि.क्षे. गणेशगढ़, खाता संख्या 40/34 में मक्खन वल्द जुगराज खां जाति छिम्पा मुसलमान को संशोधिक किया जाकर दुल्ला खां वल्द जुगराज खां जाति छिम्पा मुसलमान किए जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner